क्रम-संख्या–293

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 28 नवम्बर, 2011

अग्रहायण 7, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1474/79-वि–1–11-1(क)-33-2011

लखनऊ, 28 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 पर दिनांक 26 नवम्बर, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2011 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2011)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

डा०शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2009 की धारा 2 का संशोधन

2–डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 की धारा 2 में जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ठ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ) से है।"

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में उपधारा (1) में शब्द "डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु)" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ)" रख दिया जायेगा।

धारा 3–क का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"3–क. डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के प्रभाव से, इस अधिनियम अथवा किसी नियमावली, परिनियम, अध्यादेशों, कानूनी लिखत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी दस्तावेज अथवा कार्यवाही में डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) के लिए किया गया कोई भी सन्दर्भ उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ) के लिए किया गया सन्दर्भ समझा जायेगा।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भिन्न-भिन्न योग्यताओं के व्यक्तियों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने हेतु डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009) अधिनियमित किया गया है। उक्त विश्वविद्यालय परम्परागत अध्यापन और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से दृष्टिह्रास, श्रवणह्रास, मानसिक मंदता, पुनर्वास अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी, समुदाय आधारित पुनर्वास, पुनर्वास मनोविज्ञान, वाक्शक्ति एवं श्रवण, चलन विषयक और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ऑस्टिज्म वर्णक्रम अव्यवस्था, पुनर्वास चिकित्सा एवं व्यावसायिक परामर्श और पुनर्वास, सामाजिक कार्य/प्रशासन आदि पर केन्द्रित रहते हुए अध्ययनों, शोध और प्रसार कार्य को सुविधायुक्त बनाने और संवर्धन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह अनुभव किया गया है कि विश्वविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। अतएव, विद्यमान नाम के स्थान पर उक्त विश्वविद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा० शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ) के रूप में परिवर्तित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
के० के० शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1474(2)/LXXIX-V-1-11-1(Ka)33-2011
Dated Lucknow, November 28, 2011

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Dr. Shakuntala Misra Punarvas Vishwavidyalaya (Bhinnarupen Yogya Hetu) Uttar Pradesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2011) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 26, 2011.

Dr. SHAKUNTALA MISRA REHABILITATION UNIVERSITY
(FOR DIFFERENTLY ABLED) UTTAR PRADESH
(AMENDMENT) ACT, 2011

(U.P. Act no. 24 of 2011)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh Act, 2009.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2011.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 1 of 2009

2. In section 2 of Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh Act, 2009 hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause *(l)*, the following clause shall be *substituted*, namely :–

"*(l)* 'University' means the Uttar Pradesh Vikalang Uddhar Dr. Shakuntala Misra Vishwavidyalaya (Lucknow) established under section 3."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Diffrently Abled)," the words "the Uttar Pradesh Viklang Uddhar Dr. Shakuntala Misra Vishwavidyalaya (Lucknow)" shall be *substituted*.

Insertion of section 3-A

4. *After* section 3 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely:–

"3-A. With effect from the commencement of Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2011 any reference to Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Diffrently Abled) in this Act, or any rules, statutes, ordinances, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as reference to the Uttar Pradesh Vikalang Uddhar Dr. Shakuntala Misra Vishwavidyalaya (Lucknow)."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. Act no. 1 of 2009) has been enacted to establish and incorporate a University for persons with different abilities at Lucknow in Uttar Pradesh. The said University has been established with the object of facilitating and promoting studies, research and extension works in the emerging areas including rehabilitations courses with focus on visual impairment, hearing impairment, mental retardation, rehabilitation engineering/technology, community based rehabilitations, rehabilitation psychology, speech and hearing locomotors and cerebral palsy, autism spectrum, disorder, rehabilitation therapy, vocational counseling and rehabilitation, social work/administration etc. through conventional teaching and distance education system so as to ensuring the upliftment of social and economic conditions of disabled persons. It has been felt that the name of the University does not conform with the objects of the University. It has, therefore, been decided to change the name of the said University as the Uttar Pradesh Viklang Uddhar Dr. Shakuntala Misra University (Lucknow) instead of existing name.

Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh (Amendment) Bill, 2011 is introduced accordingly.

By order,
K. K. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 503 राजपत्र (हि०)–2011–(1272)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 120 सा० विधा०–2011–(1273)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।